विशेष व दुर्लभ ग्रुप की शहर में उपजी माँग पर लगाया विशेष रक्तदान शिविर

कोटा, (निसं)। कोटा में पिछले कई दिनों से लगातार एबी पॉजीटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, कोटा ही नहीं बूंदी और झालावाड़ के परिजन भी एबी पॉजीटिव ब्लड के लिए परेशान हो रहे थे, मरीज अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसके चलते उन्हें एबी पॉजीटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता महसूस की जा रही है। लायंस क्लब कोटा टेक्नो के व निदेशक टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता व नितिन मेहता ने बताया कि लोगों की समस्या को देखते हुए विशेष प्रयास कर एबी पॉजीटिव ग्रुप के डोनर्स से सम्पर्क किया गया, सोशल मीडिया पर समस्या से आममजन को अवगत कराया गया उसके बाद अपना ब्लड सेंटर में 23 सेवाभावी एबी पॉजीटिव ग्रुप के डोनर्स पहुंचे, जिसमें दो सगे भाई, पिता संदीप विश्वा और उनके पुत्र पुनीत विश्वा ने रक्तदान किया। इसी तरह से रावतभाटा, रानूपुर व मंडाना क्षेत्रों से भी लोग रक्तदान करने पहुंचे। 18 वर्षीय पुनीत ने पहली बार रक्तदान कर लोगों की मदद का प्रयास किया। इसके साथ ही युवाओं की टीम व आमजन भी रक्तदान करने पहुंचे। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ दिनो तक अब एबी पॉजीटिव की समस्या का समाधान हो जाएगा।

मोशन एजुकेशन ने लॉटरी 5.0 में दी हजारों जरूरतमंद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप

■ **मोशन एजुकेशन के फाउंडर और एजुकेटर नितिन विजय ने बताया कि मोशन पिछले चार साल से अपने यूट्यूब चैनलों से होने वाली आय से इस तरह की स्कॉलरशिप दे रहा है।**

कोटा, (निसं)। मोशन एजुकेशन की ओर से द्रोणा-2 कैंपस में बुधवार रात शिक्षा की लॉटरी-5.0 में हजारों जरूरतमंद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई। लॉटरी के लिए दो लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था।

मोशन एजुकेशन के फाउंडर और एजुकेटर नितिन विजय ने बताया कि मोशन पिछले चार साल से अपने यूट्यूब चैनलों से होने वाली आय से इस तरह की स्कॉलरशिप दे रहा है। इसका मकसद उन विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण कोचिंग देना है, जो आर्थिक कारणों से पीछे रह जाते हैं, लेकिन प्रतिभा और जज्बे में किसी से कम नहीं होते। लॉटरी में चेतन कुमार को कोटा में क्लासरूम कोचिंग के साथ हॉस्टल और मेस की सुविधा दी गई है। 51 विद्यार्थियों को कोटा में निशुल्क क्लासरूम कोचिंग दी गई। वहीं सरप्राईज रिवार्ड के तहत पहले से मोशन में पढ़ रहे 3 छात्रों की जमा फीस लौटाई जा रही है। इसके अलावा 10 दिव्यांग विद्यार्थियों को कोचिंग फीस में 100 प्रतिशत स्कॉलरशिप देकर मुख्यधारा में आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है।

इसके अलावा मोशन एजुकेशन के देशभर में संचालित 80 स्टडी सेंटर और कुवैत स्थित सेंटर पर भी 200 विद्यार्थियों को लॉटरी के माध्यम से स्कॉलरशिप देकर कोचिंग प्रदान की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की खास बात यह रही कि स्कॉलरशिप पाने वाले विद्यार्थियों में 50 प्रतिशत छात्राएं हैं।

अन्य श्रेणियों में भी बड़ी संख्या में छात्रों को राहत दी गई है। 251 विद्यार्थियों को 35,000 रुपए, 351 को 45,000, 551 को 55,000, 751 को 65,000 और 1001 विद्यार्थियों को मात्र 75,000 रुपए में कोटा में क्लासरूम कोचिंग का अवसर मिला है। इसके साथ ही 5555 स्टूडेंट्स को मोशन का अमृत कोर्स पूरी तरह निशुल्क दिया गया है, जिससे वे मोशन लर्निंग ऐप के माध्यम से जेईई या नीट की तैयारी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, करीब 23,000 विद्यार्थियों को नीट, जेईई और बोर्ड परीक्षाओं के पीवायक्यू और एनसीईआरटी आधारित प्रैक्टिस बुक्स निशुल्क वितरित की जाएंगी, जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। इस अवसर पर मोशन एजुकेशन के चेयरमैन सुरेंद्र विजय, डायरेक्टर सुशीला विजय सहित संस्थान के कई वरिष्ठ्ठ फैकल्टी सदस्य मौजूद रहे।

सीबीटी के ऑल इण्डिया रैंकर के लिए रिवार्ड की घोषणा-कार्यक्रम के दौरान मोशन एजुकेशन की ओर से 26 मार्च को जेईई मेन स्टूडेंट्स के लिए देश के 172 शहरों में एक साथ आयोजित ऑल इंडिया सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) के रिवार्ड की घोषणा भी की गई। इसमें ऑल इण्डिया रैंक एक पर रहे बोधिरूपी दत्ता को 51,000, दूसरी रैंक पर रही पलाक्षी चौहान को 21,000 और तीसरे स्थान पर रहे ऋषित गोयल को 11,000 रुपए दिए गए।

कृषि विश्वविद्यालय का भ्रमण

कोटा, (निसं)। प्रो. (डॉ.) पुष्पेन्द्र सिहं चौहान, कुलगुरु, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ने गुरूवार को कृषि विश्वविद्यालय एवं परिसर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र की गौ-पालन, बकरी पालन, वर्मी कम्पोस्ट, प्रोसंसिंग एवं अन्य ईकाईयों का अवलोकन किया। उन्होने कृषि विश्वविद्यालय के कार्यो की सराहना की। इस अवसर पर डॉ.विमला डूंकवाल, कुलगुरु, एवं मनीषा तिवारी, कुलसचिव महेश चन्द्र मीणा, वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय।

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक ::-न0पा0छ0/SBM/2026/9572 दिनांक ::- 27.03.2026

आम सूचना

नगर पालिका छबड़ा क्षेत्र के समस्त नागरिकों, भवन/भू-स्वामियों, ठेकेदारों, डेवलपर्स एवं निर्माण कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका छबड़ा द्वारा निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कचरा (Construction & Demolition Waste – C&D Waste) के संग्रहण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु शुल्क प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है । नगर पालिका द्वारा अधिकृत वाहन से C&D कचरे के प्रत्येक राउंड/चक्कर पर रू0 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) शुल्क देय होगा । C&D कचरे में सम्मिलित सामग्री ईट, गिट्टी, रेत, सीमेंट, कंक्रीट, टाइल्स, पत्थर, मलबा, प्लास्टर, दीवार/फर्श तोड़ने से निकला कचरा, अन्य निर्माण/मरम्मत/ध्वस्तीकरण से उत्पन्न मलबा शामिल होगा । किसी भी प्रकार का C&D कचरा सड़क, फुटपाथ, नाली, खाली भू-खंड, सार्वजनिक स्थल अथवा खुले स्थानों पर डालना पूर्णतः प्रतिबंधित है । C&D कचरे के निस्तारण हेतु केवल नगर पालिका की अधिकृत सेवा का ही उपयोग किया जाए। निर्धारित शुल्क का भुगतान कर कचरा उठान हेतु नगर पालिका कार्यालय में पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। बड़े निर्माण/ध्वस्तीकरण कार्यों के लिए संबंधित व्यक्ति/एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि कचरे का समयबद्ध व सुरक्षित निस्तारण कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम एवं C&D वेस्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत 500 रूपये जुर्माना एवं आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अवैध रूप से डाले गए मलबे को हटाने का खर्च भी संबंधित से वसूल किया जाएगा। नगर पालिका छबड़ा का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखना है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि नियमों का पालन कर नगर पालिका का सहयोग करें।

राज.संवाद/सी/26/119 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक ::-न0पा0छ0/SBM/2026/9578 दिनांक ::- 27.03.2026

आम सूचना

नगर पालिका छबड़ा क्षेत्र के समस्त नागरिकों, सफाई कार्य से जुड़े सफाई मित्रों/सफाई कर्मचारियों, ठेका कर्मियों एवं निजी सेप्टिक टैंक सफाई सेवा प्रदाताओं को सूचित किया जाता है कि सेप्टिक टैंक, सीवर या किसी भी बंद स्थान में बिना आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के मैन्युअल (मानव प्रवेश) खतरनाक प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण है तथा इससे गंभीर दुर्घटना, जान-माल की हानि एवं मृत्यु तक की संभावना रहती है। अतः सेप्टिक टैंक/सीवर की सफाई केवल यांत्रिक साधनों (मशीन द्वारा) एवं मानक सुरक्षा उपकरणों जैसे सेफ्टी बेल्ट, गैस डिटेक्टर, हेलमेट, दस्ताने, बूट्स आदि के साथ ही की जाएगी। सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य केवल डिस्लजिंग मशीन के द्वारा ही करवायी जाए। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही, जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका छबड़ा सभी से अपील करती है कि मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए नियमों का पालन करें एवं सुरक्षित सफाई पद्धतियों को अपनाएँ।

राज.संवाद/सी/26/121 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक ::-न0पा0छ0/SBM/2026/9584 दिनांक ::- 27.03.2026

आम सूचना

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 के अनुसार, नगर पालिका छबड़ा सभी नागरिकों, दुकानदारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग, स्टायरोफोम, थर्मोकोल, थ्रो अवे प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, बिक्री, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और भंडारण पर लगाए गए प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने का आग्रह करता है। यह कदम प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इन नियमों के तहत, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग और उत्पादों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है। इन नियमों का पालन न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है तथा पॉलिथीन जब्ती पर 100 रूपये की शास्ति आरोपित की जाएगी ।

राज.संवाद/सी/26/123 अधिशाषी अधिकारी

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ/ तहसील/क.ब./2025/1239 दिनांक : 02.04.26

नाम हस्तांतरण हेतु विज्ञप्ति आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के तहत सर्वे संख्या 557 कच्ची बस्ती हरिओम नगर का पट्टा नियमन क्रमांक नियम/आवंटन/214 दिनांक 11.02.2013 को श्री ओमप्रकाश पुत्र गोपाल लाल एवं श्रीमती बिन्दु जैन पत्नि ओमप्रकाश को आवंटित किया गया था। आवंटी ओमप्रकाश का स्वर्गवास दिनांक 11.08.2024 को हो जाने के कारण विधिक वारिसानो द्वारा आवेदक के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयत क्रमांक 131 दिनांक 18.04.2024 से शपथ-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री सुमित पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश एवं श्रीमती बिन्दू जैन पत्नि स्व. ओमप्रकाश ने स्वयं के नाम हस्तानांतरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तांतरण प्रस्तावित है।

अतः उक्त नाम हस्तानांतरण के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवे। अन्यथा बाद मियाद उक्त आवास का नाम हस्तानांतरण श्री सुमित पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश एवं श्रीमती बिन्दू जैन पत्नि स्व. ओमप्रकाश के नाम से कर दिया जावेगा। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक ::-न0पा0छ0/SBM/2026/9575 दिनांक ::- 27.03.2026

आम सूचना

नगर पालिका छबड़ा क्षेत्र के समस्त नागरिकों, भवन स्वामियों, निजी सेप्टिक टैंक/फीकल स्लज डी-स्लजिंग ऑपरेटरों एवं निजी स्वच्छता सेवा प्रदाताओं को सूचित किया जाता है कि नगर क्षेत्र में अपरिष्कृत (Untreated) फीकल स्लज/सेप्टेज को नालियों, खुले स्थानों, सड़कों, जल निकायों या किसी भी सार्वजनिक/निजी भूमि पर डालना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस प्रकार का कृत्य पर्यावरण संरक्षण एवं जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है तथा नगर पालिका अधिनियम एवं स्वच्छ भारत मिशन- संबंधित नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति/ऑपरेटर पर कम से कम 500 रू0 आर्थिक दंड, वाहन/उपकरण जब्ती एवं आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, नगर पालिका छबड़ा क्षेत्र में कार्यरत सभी निजी स्वच्छता सेवा प्रदाताओं (डी-स्लजिंग/सेप्टिक टैंक सफाई सेवाएँ) का नगर पालिका में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। बिना पंजीकरण सेवा देना अवैध माना जाएगा। अतः सभी संबंधितों से अपेक्षा है कि वे नियमों का पालन करें, तथा निर्धारित समय-सीमा में अपना पंजीकरण पूर्ण कराएँ। नगर की स्वच्छता एवं नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आपका सहयोग अनिवार्य है।

राज.संवाद/सी/26/120 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर निगम, कोटा, राजस्थान

क्रमांक-ननिकोटा/उपा.रा./2026/1076-77 दिनांक- 02.04.26

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री राकेश ढोन्डियाल पुत्र श्री चेतराम ढोन्डियाल, निवासी प्रथम तल 47, प्रिया एन्क्लेव कृष्ण नगर करकरडूमा पूर्व दिल्ली में नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार "RESTFUL ROOTS HOTEL & BAR" 47, बून्दी रोड एक्जोटिका गार्डन के पीछे, कुन्हाडी कोटा में होटल संचालन करने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक ''ए'' के प्रथम तल के कमरा नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो!

उपायुक्त राजस्व नगर निगम, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा राजस्थान

क्रमांक-ननिको/उपायुक्त/भ.नि.अनु./2026/261-62 दिनांक- 2.4.26

भू-उपयोग परिवर्तन व एकीकरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदकों श्री विपिन ग्वालानी पुत्र श्री कन्हैयालाल ग्वालानी एवं श्री कन्हैयालाल ग्वालानी पुत्र श्री लाधाराम एच.यू.एफ निवासी वल्लभ वाड़ी गुमानपुरा कोटा राजस्थान द्वारा स्थित भूखण्ड़ राख्या 11 डब्ल्यू जडिया जी की बाड़ी क्षेत्रफल 966 वर्गफुट एवं भूखण्ड संख्या 79 (पश्चिमी भाग) वल्लभवाड़ी कच्ची बस्ती गुमानपुरा कोटा क्षेत्रफल 912 वर्गफुट अर्थात कुल क्षेत्रफल 1878 वर्गफुट का एकीकरण व मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है।

भूखण्ड संख्या 11 डब्ल्यू, जडिया जी की बाडी का आवंटन / नागातंरण नगर विकास न्यास कोटा द्वारा दिनांक 31.03.2022 को श्री कन्हैयालाल ग्वालानी पुत्र श्री लाधाराम के पक्ष में किया गया है. एवं भूखण्ड संख्या 79 (पश्चिमी भाग) बल्लभबाड़ी कच्ची बस्ती कोटा स्थित भूखण्ड का नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा व्यवसायिक पट्टा क्रमाक 5061 दिनांक 20.03.2023 को श्री विपिन ग्वालानी पुत्र श्री कन्हैयालाल ग्वालानी के पक्ष में जारी किया गया।

आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार भूखण्ड संख्या 11 डब्ल्यू, जडिया जी की बाडी एवं 79 (पश्चिमी भाग) वल्लभबाड़ी कच्ची बस्ती कोटा द्वारा कुल क्षेत्र 1878 वर्गफुट का एकीकरण व गिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्डो के एकीकरण व मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति उपायुक्त द्वितीय कक्ष मे प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। **उपायुक्त नगर निगम, कोटा**

कार्यालय नगर निगम, कोटा राजस्थान

क्रमांक-ननिको/उपायुक्त/भ.नि.अनु./2026/263-64 दिनांक- 2.4.26

भू-उपयोग परिवर्तन व एकीकरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदकों श्रीमती रचना रावतानी पत्नी श्री हरीश रावतानी एवं श्री पीयूष रावतानी पुत्र श्री हरीश रावतानी निवासी बल्लभ बाड़ी गुमानपुरा कोटा राजस्थान द्वारा स्थित भूखण्ड संख्या 11 ई. जडिया जी की बाड़ी क्षेत्रफल 912 वर्गफुट एवं भूखण्ड संख्या 79 बल्लभबाडी कच्ची बस्ती कोटा क्षेत्रफल 1354.50 वर्गफुट अर्थात कुल क्षेत्रफल 2266.5 वर्गफुट का एकीकरण व मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है।

भूखण्ड संख्या 11-ई, जडिया जी की बाडी का आवंटन / नामातरण नगर विकास न्यास कोटा द्वारा दिनांक 31.03. 2022 को श्रीमती रचना रावतानी पत्नी श्री हरीश रावतानी के पक्ष में किया गया है एव भूखण्ड सख्या 79 बल्लभबाडी कच्ची बस्ती कोटा स्थित भूखण्ड का नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा व्यवसायिक पट्टा क्रमांक 5062 दिनांक 20.03.2023 को श्री पियूष रावतानी पुत्र श्री हरीश रावतानी के पक्ष में जारी किया गया।

आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार भूखण्ड संख्या 11-ई, जडिया जी की बाड़ी व 79 बल्लभबाडी कच्ची बस्ती कोटा कुल क्षेत्र 2266.5 वर्गफुट के एकीकरण व मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का एकीकरण व मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति, सस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति उपायुक्त द्वितीय कक्ष मे प्रस्तुत करें, बाद मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

12वीं आर्ट्स का शत प्रतिशत रहा परीक्षा परिणाम

रामगंजमंडी,(निसं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उण्डवा का बोर्ड परीक्षा परिणाम सत्र 2025-26 में उत्कृष्ट रहा। जिसमें 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा। कक्षा दसवीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम 94.44 प्रतिशत रहा, जिसमें 54 परीक्षार्थियों में से 12 प्रथम श्रेणी 28 द्वितीय श्रेणी 11 तृतीय श्रेणी मैं रहे। छात्रा विदिशा कुमारी ने 93.33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर 10वीं बोर्ड में स्थानीय विद्यालय में प्रथम स्थान व ब्लाक खैराबाद की मेरिट में छठ्ठा स्थान प्राप्त कर विद्यालय व ब्लॉक का नाम रोशन किया। इसी कड़ी में दिव्यांशु ने 90.17 प्रतिशत (गणित में 100/100) अंक प्राप्त कर दूसरा व नितेश कुमार ने 87.83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। 12वीं बोर्ड में परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा, जिसमें 14 परीक्षार्थियों में से 4 प्रथम श्रेणी 8 द्वितीय श्रेणी व 2 तृतीय श्रेणी में रहे। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरिराज अहीर ने बताया कि स्थानीय विद्यालय के स्टॉफ साथियों के अथक प्रयासों से परीक्षा परिणाम उत्तम रहा फिर भी आगामी सत्रों में नवाचारों को अपनाते हुए विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रखने के साथ-साथ मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में का लक्ष्य रखा गया है।

संभागीय आयुक्त ने चड़ी में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

कोटा, (निसं)। राज्य सरकार की त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को बूंदी जिले की ग्राम पंचायत चड़ी में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने इस जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कुल 20 परिवाद प्रस्तुत किए। संभागीय आयुक्त ने एक-एक कर सभी परिवादों को गंभीरता से सुना और विभागीय अधिकारियों को तय समय सीमा में राहत पहुंचाने की हिदायत दी। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ऋतु राज शर्मा, तहसीलदार रवि शर्मा सहित समस्त विभागों के उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएचसी केशोरायपाटन में व्यवस्थाओं का लिया जायजा-जनसुनवाई के पश्चात संभागीय आयुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केशोरायपाटन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अनावश्यक रूप से चल रहे बिजली उपकरणों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें तुरंत बंद रखने के निर्देश दिए। साथ ही, मरीजों की सुविधा के लिए आपातकालीन सेवाओं का ड्यूटी चार्ट नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करने को कहा। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि ओपीडी और आईपीडी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि मौसमी बीमारियों पर सतत निगरानी रखें। साथ ही मौसमी बीमारियों कि रोकथाम के लिए समुचित प्रबंध रखे जावें। चिकित्सालय परिसर में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न नियमों की जानकारी के अपडेट फ्लेक्स बैनर प्रदर्शित किया जाएं, ताकि आमजन को विभिन्न योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में गठ्ठित आरएमआरएस कमेटी की बैठ्ठक नियमित रूप से आयोजित की जावें।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका रामगंजमण्डी

(प्रारूप-10) (नियम 6 (7) देखिए)

क्रमांक:-न.पा.रा./भूमि/2026/13 **लोक सूचना** दिनांक- 1.4.26

श्री रामावतार पुत्र श्री राम किशन जाति मेघवाल निवासी रामगंजमंडी तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
रामगंजमंडी जिला कोटा	अमरपुरा	1871/1082	0.50 है.
		कुल 0.50 हैक्टियर	

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त, प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक........ को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रामगंजमंडी

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका रामगंजमण्डी

(प्रारूप-10) (नियम 6 (7) देखिए)

क्रमांक:-न.पा.रा./भूमि/2026/46 **लोक सूचना** दिनांक- 1.4.26

श्री रामावतार पुत्र श्री राम किशन जाति मेघवाल निवासी रामगंजमंडी तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
रामगंजमंडी जिला कोटा	अमरपुरा	1079	0.21 है. में से 0.10 है.
		कुल 0.10 हैक्टियर	

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त, प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 1.4.26 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रामगंजमंडी

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका रामगंजमण्डी

(प्रारूप-10) (नियम 6 (7) देखिए)

क्रमांक:-न.पा.रा./भूमि/2026/09 **लोक सूचना** दिनांक- 1.4.26

श्री रामावतार पुत्र श्री राम किशन जाति मेघवाल निवासी रामगंजमंडी तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
रामगंजमंडी जिला कोटा	अमरपुरा	1081	0.10 है.
		1870/1082	0.16 है.
		कुल 0.26 हैक्टियर	

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त, प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 1.4.26 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रामगंजमंडी

नेतृत्व और संचालन की बारीकियों का प्रशिक्षण

बूंदी । जेसीआई इंडिया ज़ोन 5 द्वारा आयोजित 'सी ए पी पी 2026' (चेयरमैनशिप एवं संसदीय कोच प्रशिक्षण) कार्यक्रम का भव्य एवं सफल आयोजन कोटा के एक होटल में किया गया। जे सी आई बूंदी ऊर्जा की अध्यक्ष अंकिता नुवाल ने इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश नायर एवं जितेश आडवाणी उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में नेतृत्व क्षमता, प्रभावी संचालन एवं संसदीय रूल्स सहित अनेक जेसीआई प्रक्रियाओं की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला और प्रतिभागियों को नई दिशा दी। प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व हेड कोच भरत अठावाल ने किया, जबकि सहायक कोच प्रीतम गोस्वामी एवं रोहिणी कोहली रहीं।इन्होंने प्रतिभागियों को व्यवहारिक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान किया। इस दौरान चेयरमैनशिप की तकनीकों, बैठक संचालन के नियमों तथा प्रभावी नेतृत्व कौशल पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर ज़ोन अध्यक्ष बी.के. डाड, ज़ोन प्रशिक्षण निदेशक प्रियंका सेन, ज़ोन समन्वयक अंकित एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष अंकिता नुवाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ कुल 45 सदस्यों ने प्राप्त किया।

चेक पोस्टों से रखेंगे गेहूं के परिवहन पर निगरानी

■ **सभी खरीद केन्द्रों पर तुरंत शुरू करें गेहूं की खरीद-जिला कलक्टर**

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए जिले के सभी खरीद केंद्रों पर पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया कि राजस्थान में गेहूं की खरीद केवल राज्य के मूल काश्तकारों के लिए ही निर्धारित है। अन्य राज्यों, विशेषकर समीपवर्ती मध्य प्रदेश (एमपी) से गेहूं के अवैध आवागमन और पुनर्चक्रण (रिसाइकिलिंग) को रोकने के लिए जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाई जा रही हैं। इन चेक पोस्टों के माध्यम से गेहूं के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि बाहरी गेहूं जिले के खरीद केंद्रों पर न आ सकें। गेहूं खरीद को गति देने के लिए जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिला रसद अधिकारी द्वितीय कुशाल बिलाला ने बताया कि जिला कलक्टर ने जिले के निर्धारित 70 केंद्रों में से शेष रहे सभी केंद्रों पर तत्काल प्रभाव से गेहूं की खरीद शुरू करने, किसानों की सुविधा के लिए ई-पीडीएस पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसान समय पर अपनी उपज बेच सकें। समस्त उपखंड अधिकारियों (एसडीओ) को निर्देशित किया गया है ।

कि वे अपने क्षेत्र के खरीद केंद्रों का नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण करें। सभी एजेंसियों को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने तथा किसानों को छाया, पानी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

हनुमान जन्मोत्सव मनाया

कोटा, (निसं)। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति कोटा शाखा द्वारा हनुमान जन्मोत्सव पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ्ठ का भव्य आयोजन किया गया। अध्यक्ष उष्मा लड्डा ने बताया कि इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शाखा बहनों ने भाग लेकर धर्म लाभ उठ्ठाया। सचिव भारती काल्या ने बताया कि कार्यक्रम की शुरूआत हनुमान के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुई। सभी उपस्थित सदस्यों ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ्ठ किया। इस दौरान पूरा वातावरण जय श्रीराम और श्जय हनुमानश के जयकारों से गूंज उठ्ठा। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नीलम तापड़िया ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक चेतना जागृत करना है। निवर्तमान प्रदेश कोषाध्यक्ष मंजू काबरा ने बताया कि हनुमानजी का जीवन हमें सेवा, समर्पण और अनुशासन की प्रेरणा देता है। पाठ्ठ के समापन पर महाआरती की गई और सभी को प्रसाद वितरित किया गया।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/899 दिनांक : 02.04.26

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 360 सी श्रीनाथपुरम पुनर्वास योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 53 दिनांक 29.12.1995 को श्री सूरजमल मेघवाल पुत्र श्री धन्ना लाल मेघवाल के नाम आवंटन किया गया था। आवंटी श्री सूरजमल मेघवाल पुत्र श्री धन्ना लाल मेघवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री गणेश गुर्जर पुत्र श्री ख्वाजू गुर्जर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.08.2023 को श्रीमती लवीना राठौर पत्नी श्री योगेश राठौर को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती लवीना राठौर पत्नी श्री योगेश राठौर द्वारा उक्त भूखण्ड़ का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 360 सी श्रीनाथपुरम पुनर्वास योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती लवीना राठौर पत्नी श्री योगेश राठौर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

दो नंदी वाले 1100 साल पुराने श्री अभय नाथ महादेव मंदिर में गूंजे जयकारे

बूंदी। हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या और चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर छोटी काशी के नाम से विख्यात बूंदी के ऐतिहासिक श्री अभय नाथ महादेव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। नाथ संप्रदाय के इस 1100 वर्ष पुराने शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिला। आयोजन श्री अभय नाथ प्रबंध कार्यकारिणी के सचिव पंडित शक्ति प्रकाश ओझा की अगुवाई में पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। मंदिर में महादेव के समक्ष विराजमान हैं दो नंदी सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पारीक ने इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर बूंदी शहर की स्थापना से भी सदियों पुराना है। प्राय: सभी शिवालयों में महादेव के समक्ष केवल एक ही नंदी विराजमान होते हैं, लेकिन श्री अभय नाथ महादेव मंदिर पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहां गर्भगृह के बाहर महादेव के समक्ष दो नंदी विराजमान हैं। इसके साथ ही एक अद्भुत प्रतिमा भी है, जिसमें मार्कंडेय ऋषि ने नंदी को बांह से पकड़ रखा है। यह दुर्लभ दृश्य श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। महाआरती के इस पावन अवसर पर केवल महादेव ही नहीं, बल्कि मंदिर परिसर में विराजमान अन्य देवी-देवताओं की भी आराधना की गई। हनुमान जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, दोनों नंदी महाराज और माता सुरभि की विशेष पूजा-अर्चना कर देश और अवाम की खुशहाली की कामना की गई।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/898 दिनांक : 02.04.26

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 64 मुकुन्दरा विहार विस्तार आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 24 दिनांक 14.03.2019 को श्री कमल सिंह पुत्र श्री भीम सिंह के नाम आवंटन किया गया था। श्री कमल सिंह पुत्र श्री भीम सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती रश्मि गोयल पत्नी श्री महेन्द्र गोयल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.03.2026 को श्री विष्णु खण्डेलवाल पुत्र श्री मथुरादास खण्डेलवाल को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री विष्णु खण्डेलवाल पुत्र श्री मथुरादास खण्डेलवाल द्वारा उक्त भूखण्ड़ का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 64 मुकुन्दरा विहार विस्तार आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री विष्णु खण्डेलवाल पुत्र श्री मथुरादास खण्डेलवाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/896 दिनांक : 01.04.26

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा आवास संख्या 729 श्रीनाथपुरम-बी आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 584 दिनांक 30.04.1997 को श्री मनोज कुमार सोनी पुत्र श्री गौरी शंकर सोनी के नाम आवंटन किया गया था। श्री मनोज कुमार सोनी पुत्र श्री गौरी शंकर सोनी द्वारा उक्त आवास का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती सुभद्रा पत्नी श्री रमेश द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.06.2025 को श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल सेन को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल सेन द्वारा उक्त आवास का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त आवास संख्या 729 श्रीनाथपुरम-बी आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल सेन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

अवकाशों में मनमानी कटौती का विरोध

■ **15 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश पूर्ववत बरकरार रखा जाए**

कोटा, (निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मावकाश में कटौती किए जाने के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अव्यावहारिक तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों के प्रतिकूल बताया है। संगठ्ठन का मानना है कि विभाग ने यह निर्णय राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों तथा जून के अंत तक पड़ने वाली भीषण गर्मी को नजरअंदाज करते हुए लिया है। यह फैसला विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी जोखिमपूर्ण है तथा शिक्षकों के हितों पर कुठ्ठाराघात है। इसी प्रकार अन्य अवकाशों में भी विभाग द्वारा की गई मनमानी कटौती निंदनीय है। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) के प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग तथा महामंत्री उपेन्द्र शर्मा ने कहा कि सरकार अपनी शैक्षिक विफलताओं को छिपाने के लिए शिक्षण समय बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के नाम पर ऐसे निर्णय ले रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को गैर-शैक्षिक कार्यों से पूर्णतया मुक्त किया जाए। इसके साथ ही रिक्त पदों को नई नियुक्तियों और पदोन्नतियों के माध्यम से तुरंत भरा जाए। विद्यालयों में ऑनलाईन कार्यों के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था की जाए तथा शिक्षकों को मोबाईल आधारित अनावश्यक कार्यों से मुक्त रखा जाए। प्रत्येक विद्यालय में सफाई कर्मी और सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जाएं तथा पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

संघ के कोषाध्यक्ष राधेश्याम यादव तथा प्रवक्ता यादवेन्द्र शर्मा ने कहा कि शिक्षण कोई मशीनी कार्य नहीं है, इसलिए शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार बंद किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को न्यायपूर्ण स्थानांतरण का अवसर प्रदान कर वर्षों से चली आ रही प्रताड़ना को समाप्त किया जाना आवश्यक है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि संस्था प्रधान के अधिकार क्षेत्र वाले अवकाशों को घटाकर मात्र एक दिन कर देना राज्य की सामाजिक एवं धार्मिक विविधता के प्रति सरकार और विभागीय अधिकारियों की असंवेदनशीलता का उदाहरण है। राज्य कर्मचारियों को एक वर्ष में दो दिन का ऐच्छिक अवकाश देय है जबकि पूर्व में ही शिक्षकों के इस अधिकार को संस्था प्रधान को प्रत्यायोजित कर दिया गया था, जिस पर अब कटौती कर दी गई है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) के संघर्ष संयोजक पोखर मल ने मांग की है कि ग्रीष्मावकाश को पूर्ववत 15 मई से 30 जून तक यथावत रखा जाए, पूर्व में ग्रीष्मावकाश के दौरान विभाग द्वारा आदेशित कार्य दिवसों की नियमानुसार पी.एल. दी जाए तथा अन्य अवकाशों में की गई कटौती वापस ली जाए। संगठ्ठन की मांग है कि इन प्रतिगामी बदलावों को रद्द किया जाए और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले सकारात्मक एवं प्रगतिशील कदम उठ्ठाये जाये।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/965 दिनांक : 02.04.2026

नाम हस्तातंरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास / भूखंड संख्या-127 केशवपुरा-6 योजना का नाम हस्तांतरण के पत्र कमांक 256 दिनांक 29.02.2000 द्वारा सुश्री दीक्षा पुत्री श्री नन्द लाल को आंवटित किया गया था। सुश्री दीक्षा के द्वारा श्री रामरतन पुत्र श्री रामकरण को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये विकय पत्र दिनांक 06.02.2014 को श्रीमती रेखा देवी पत्नि श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी को कर दिया गया केता श्रीमती रेखा देवी पत्नि श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास / भूखण्ड संख्या-127 केशवपुरा-6 योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती रेखा देवी पत्नि श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी के नाम कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा